



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-20082026-275606
CG-KA-E-20082026-275606

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4404]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4404]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिमी रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 19 अगस्त, 2026

का.आ. 4584(अ) .— रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) की धारा 20 एफ के खंड (6) और धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' तथा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए के लिए अधिकृत करता है, जो इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा, तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन इस विशेष रेल परियोजनाओं में होंगे।

तालिका

क्रमांक	परियोजना का नाम	ज़िला	सक्षम प्राधिकारी	अर्बिटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विजयनगर जिले के हरपनहल्ली तालुका के नीलगुंडा गांव में स्थित के पी टी सी एल ग्रिड सब स्टेशन में टर्मिनल बे का निर्माण कार्य।	विजयनगर	सहायक आयुक्त हरपनहल्ली	क्षेत्रीय आयुक्त कलबुर्गी

[फा. सं. डब्ल्यू.271/सीएन/बीएनसी/2026-27/भूमि एसआरपी/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 19th August, 2026

S.O. 4584(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl No	Name of Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Construction of Terminal Bay in KPTCL Grid Substation at Neelgunda village of Harapanahalli Taluka, Vijayanagar District	Vijayanagara	Assistant Commissioner Harapanahalli	Regional Commissioner Kalaburagi

[F. No. 271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Con.